न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 08 / 2022

केशवदेव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नामाखेडा तहसील नदवई जिला भरतपुर
.......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर (द्वितीय)
.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 18–03–2021,

उपस्थित :–
1–श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री संजीव शर्मा, ई0ओ0 पैरोकार रसद

निर्णय दिनांक 07–06–2024

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 18–03–2021 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर ने अपीलान्ट डीलर का अनुज्ञापत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूति सम्पूर्ण जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आज्ञा के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीवद्य की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदइेश 1976 के आदेश खण्ड 8(2) अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज के रहता है। तहत न्यायालय ने बिना कोई नोटिस दिये एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धान्तों विपरीत आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्ट को कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त कर दिया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलान्ट ने कभी भी ग्राम पंचायत

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

नामखेड़ा मे राशन वितरण करने में असमर्थता जाहिर नहीं की है। ग्राम नामखेड़ा में कारोबार स्थल का नक्शा प्रस्तुत करने बावत कभी भी कोई सूचना नहीं दी गई, अगर प्रार्थी को कोई सूचना दी जाती तो प्रार्थी अवश्य ही आदेश की पालना करता। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में बताया कि डीलर को ग्राम नामखेड़ा में वितरण स्थल हेतु उपयुक्त स्थल का चुनाव कर स्थल का नक्शा एवं प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र लिखा गया है। अपीलान्ट डीलर द्वारा इस पर कोई ध्यान नही दिया गया, और आज दिनांक तक ग्राम नामखेड़ा में कार्य स्थल के सम्बन्ध मे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट डीलर ग्राम नामखेड़ा में गेहूं वितरण करने में असमर्थता जाहिर की गई थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत नामखेड़ा में गेंहू वितरण नहीं किये जाने में असमर्थता जाहिर करने एवं ग्राम नामखेड़ा में कार्यस्थल की जानकारी एवं नक्शा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपीलान्ट का यह कहना कि ग्राम नामखेड़ा में कार्यस्थल की कोई सूचना उससे नहीं मांगी गई उसके पास इस सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। जब कि तहत प़त्रावली में उपलब्ध नोटिस क्रमांक रसद / 2020 / 114 दिनांक 8.6.2020 जो कि अपीलान्ट डीलर को जारी किया गया है जिसमें अपीलान्ट डीलर से ग्राम पंचायत नाम खेडा में वितरण क्षेत्र के अन्दर एक उपयुक्त वितरण स्थल का चुनाव कर स्थल का नक्शा सही मूल प्राधिकार पत्र को जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। तहत पत्रावली में उपलब्ध फर्द जॉच दिनांक 16.6.2020 का अवलोकन किया गया, यह फर्द जांच रिपोर्ट विस्तृत है जिसमें अपीलान्ट ने ग्राम नामखेड़ा में गेहूं वितरण करने असमर्थता जाहिर किया जाने का उल्लेख किया गया है। डीलर श्री केशव देव को जारी प्राधिकार पत्र ग्राम पंचायत नामखेडा के वितरण स्थल हेतु अधिकृत वितरण स्थल नगर रोड़ कस्बा नदबई का है तत्कालिक परिस्थितियों में प्रमाणित वितरण स्थल वर्तमान परिस्थितियों में अप्रयोजनीय होना भी प्रवर्तन अधिकारी की फर्द जांच में अंकित किया गया है, उक्त फर्द जांच. में अपीलान्ट डीलर के हस्ताक्षर हो रहे हैं इससे स्पष्ट है कि वह प्रवर्तन अधिकारी की फर्द जांच में अंकित कथनों से सहमत है और उसे

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / रसद / 08 / 2022
केशव देव बनाम जिला रसद अधिकारी

कोई आपत्ति नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)